न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 998/2022

अनवान : –

1. रामस्वरूप पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 12/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 29.5930है0 भूमि में से 1265/59186 हिस्सा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम सरूप पुत्र हरदयाल दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम रामस्वरूप पुत्र हरदयाल है जो कि वादी के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, परिचय पत्र व सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा रोही मौजा देईदास जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता स0 186/176 की जमाबंदी आदि में अंकित है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सरूप पुत्र हरदयाल के स्थान पर अपने दस्तावेजों के अनुसार सही नाम रामस्वरूप पुत्र हरदयाल दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसी कारण वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा अपने पत्रांक 871 दिनांक 27.01.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि गई कि [illegible] 3 में खातेदार का नाम सरूप पि0 हरदयाल जाति जाट दर्ज है। जमाबंदी [illegible] 2071 [illegible] खाता स0 2 में सरूप पि0 हरदयाल दर्ज है। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड में [illegible] हरदयाल दर्ज है। [illegible] का नाम उक्त भूमि में जरिये विक्रय पत्र नामान्तरण के दौरान स[illegible] पि0 हरदयाल दर्ज [illegible] है। नाम दुरूस्ती बाबत विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना उचित है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:22 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि में वादी का नाम सरूप पुत्र हरदयाल दर्ज है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजों में नाम रामस्वरूप पुत्र हरदयाल दर्ज है इसी अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 29.5930है0 भूमि में से 1265/59186 हिस्सा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादी द्वारा उक्त वाद भूमि में अपना नाम सरूप पुत्र हरदयाल के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र हरदयाल मुताबिक दस्तावेज करने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादी का नाम दुरूस्त करने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही की अनुशंषा की गई है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, रोही मौजा देईदास जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता स0 186/176 की जमाबंदी में भी नाम रामस्वरूप पुत्र हरदयाल अंकित है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र व तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 29.5930है0 भूमि में से 1265/59186 हिस्सा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें **वादी का नाम सरूप पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी देईदास के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी देईदास का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सरूप पुत्र हरदयाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सरूप पुत्र हरदयाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम सरूप पुत्र हरदयाल ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/4/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:22 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 998 / 2022

अनवान : –

1. रामस्वरूप पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों / शपथ पत्र एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता स0 3 / 2 की कुल 29.5930है0 भूमि में से 1265 / 59186 हिस्सा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें **वादी का नाम सरूप पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी देईदास के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी देईदास का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सरूप पुत्र हरदयाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सरूप पुत्र हरदयाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम सरूप पुत्र हरदयाल ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:22 IST
Reason: SelfAttested